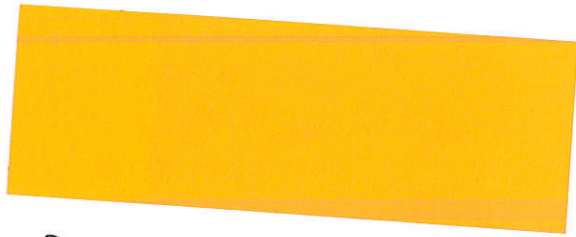


केंद्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
बाबा गंगनाथ मार्ग /Baba Gangnath Marg
मुनिरका / Munirka,
नई दिल्ली-११००६७ / New Delhi-110067

Dated: 23.10.2018

No.3/1/2018/Admin./CIC/50754



विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन.

महोदय,

उपरोक्त विषयक का आवेदन इस अनुभाग में 18.10.2018 को श्रीमती सविता तलूजा अनुभाग अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी से बिंदु संख्या ५ के लिये प्राप्त हुआ जिसकी वांछित सूचना बिन्दुवार आग्रकित हैं:-

इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5 (4) की सहायता से संबंधित अनुभाग से पत्र संख्या No.3/1/2018/Admin./CIC/50754 दिनांक 18.10.2018 के तहत अनुरोध किया गया था। संबंधित अनुभाग से प्राप्त उत्तर इसके साथ संलग्न है।

उपरोक्त जवाब के विरुद्ध, यदि कोई प्रथम अपील हैं, इसके प्राप्ति के ३० दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष ऊपर उल्लिखित पते पर की जा सकती हैं

(सुशील कुमार)

उपसचिव एवं जन सूचना अधिकारी

प्रति: केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, RTI CELL-CICOM/R/2018/50754

✓
Am
24/10/18



Central Information Commission
Baba Gangnath Marg, Munirka
New Delhi-110 067

F. Nso.3/3/2018-CIC/Admn.

Dated the 22nd October, 2018

Subject: Seeking assistance under section 5(4) of the RTI Act, 2005 on RTI
Application dated 6.10.2018 of Shri Naveen.

In reference to your letter No.3/1/2018/CIC/Admn/50754 dated 18.10.2018, the
requisite information is as under:-

Query on Points	Reply/Information
5	श्री रakesh कुमार सिंह, AS के खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई है।


(S.P. Beck) 22.10.18
JS(Admn)

To

DS(Admn)